

17.05.2022

पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से प्रार्थी के अधिवक्ता इस प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते हैं एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा लोक अदालत की बैच संख्या दो के समक्ष इस प्रार्थना पत्र को Note Press किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जरिए Note Press खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(डॉ. भँवर लाल)  
जिला कलक्टर, सिरौही

